

ORDER SHEET 50-2012Rct

THE COURT - - - - -

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
23 -01-17	<p>परिवादी सहित अधि० श्री मुकेश कुशवाह उप० आरोपी श्रीदेवी पूर्व से मृत आरोपी जगत सिंह एवं लाली सहित अधि० श्री अशोक जादौन उप०</p> <p>प्रकरण आज बचाव साक्ष्य हेतु नियत हैं। आज दिनांक को फरियादी विन्दावन व आहत किशनादेवी उप० है। फरियादी व आहत की पहचान अधि० श्री मुकेश कुशवाह द्वारा की गई है। इसी प्रक्रम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में उप० हो। प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।</p> <p>(प्रतिष्ठा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी०</p> <p>पुनश्च—</p> <p>पक्षकार पूर्ववत प्रकरण में मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया।</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। फरियादी विन्दावन द० प्र० स० की धारा 320 (4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी अवयस्क पुत्री आहत देवी की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।</p> <p>सर्वप्रथम आवेदन धारा 320 (4) द० प्र० स० का निराकरण किया गया। फरियादी विन्दावन द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत कर अपनी अवयस्क पुत्री आहत देवी की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है। प्रकरण में देवी आहत है विन्दावन देवी का पिता होकर उसका प्राकृतिक संरक्षक है एवं उसकी ओर से राजीनामा करने के लिये सक्षम है फरियादी विन्दावन ने आहत अवयस्क देवी की ओर से राजीनामा करने की अनुमति चाही है अतः वाद विचार आवेदन स्वीकार किया गया। फरियादी विन्दावन को आहत देवी की ओर से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>तत्पश्चात द० प्र० स० की धारा 320 (2) के आवेदन पर विचार किया गया।</p>	

	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी जगत सिंह व लाली पर भादस की धारा 294,323/34(तीन शीर्ष) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी विन्द्रावन व आहत किशनादेवी ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। फरियादी विन्द्रावन ने अवयस्क पुत्री देवी की ओर से भी प्रकरण में राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी जगत सिंह व लाली को भादस की धारा 294,323/34 तीन शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत हैं उनके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही/— प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद</p>	